राष्ट्रीय उद्यान (भाग- 2)

परिचय

- पारिस्थितिकी, प्राणिजगत, वनस्पति, भू-आकृति अथवा जंतु जगत संबंधी महत्त्व को **संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार** द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान/नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- **इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के तहत सुरक्षा प्राप्त होती है।**
- **राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा WPA में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के अलावा**, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।

तथ्य

- **गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात):** एशियाई सिंहों/शेरों का एकमात्र निवास।
- **कुनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश):** नामीबिया से लाए गए चीतों को यहाँ पुरःस्थापित किया गया (प्रोजेक्ट चीता के तहत; बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण से जुड़ी विश्व की पहली परियोजना)।
- **सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल):** यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है (1987) और मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-park-part-2